रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2014/पौष 8, 1936
No. 376] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2014/PAUSHA 8, 1936

IndiaCode

विदेश मंत्रालय

(नालंदा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2014

सं. एस/321/23/2011.—नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए और कुलाध्यक्ष की सम्मति से शासी बोर्ड नालंदा विश्वविद्यालय परिनियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं अर्थात्:-

2. नालंदा विश्वविद्यालय परिनियम, 2012 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिनियम कहा गया है) (क)-परिनियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित परिनियम को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"5 क समितियां:- (1) कुलपति और विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी, जितना भी आवश्यक समझें, स्थाई समितियां या विशेष समितियां बना सकते हैं और ऐसी समितियों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं जो कि अन्य प्राधिकारों में सदस्य नहीं हैं।

(2) खंड (1) के अधीन नियुक्त कोई भी समिति प्रत्यायोजित किए गए किसी भी विषय के संबंध में कार्य कर सकती हैं और नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को सिफारिश कर सकती है।

(ख) मूल परिनियमों में, संविधि 13 में खंड (V) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(फ) कुलपति, अधिकारियों को सौंपे गए उत्तरदायित्वों में परिवर्तन कर सकते हैं"

(ग) मूल संविधि में सन्नियम 14 के पश्चात्, निम्नलिखित सन्नियम अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

"14 क. शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों के लिए चयन समितियां-(1) एक चयन समिति होगी जो आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य कार्यकारियों की नियुक्ति के लिए शासी बोर्ड को सिफारिश करेगी।"

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों की नियुक्तियों के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्-

प्रवर्ग	संरचना
आचार्य/ सह आचार्य/सहायक आचार्य	(i) कुलपति या कुलपति द्वारा नामनिर्देशिती अध्यक्ष (ii) संकाय (शैक्षिक योजना) (iii) संबंधित निकाय के डीन, यदि पद पर है (iv) कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती (v) शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा निर्देशिती तीन ऐसे विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों और जिन्हें उस संकाय से संबंधित विषय का विशेष ज्ञान हो या उसमें रूचि हो जिसमें उनकी नियुक्ति की जानी है।
पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) कुलपति या कुलपति का नामनिर्देशिती - अध्यक्ष (ii) संकाय (शैक्षणिक योजना) (iii) कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती प्रतिनिधि (iv) कुलपति का निर्देशिती एक प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय की सेवा से इतर दो विशेषज्ञ, शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान और पुस्तकालय प्रशासन का विशेष ज्ञान हो।
ज्येष्ठ गैर शैक्षिक/प्रशासनिक पद (अर्थात् रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारीऔर विश्वविद्यालय इंजीनियर)	(i) कुलपति या कुलपति के नामनिर्देशिती - अध्यक्ष (ii) डीन (शैक्षिक योजना) (iii) कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती (iv) कुलपति द्वारा नामित, विश्वविद्यालय की सेवा से इतर दो विशेषज्ञ, शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल से।
अन्य ज्येष्ठ प्रशासनिक/गैर शैक्षणिक पद जैसे कि उप-रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, सहायक इंजीनियर, ज्येष्ठ प्रोग्रामर आदि	(i) कुलपति या कुलपति के निर्देशिती - अध्यक्ष (ii) संकाय (शैक्षणिक योजना) (iii) कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती (iv) कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय की सेवा से इतर एक नामनिर्देशित विशेषज्ञ, शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल से। (v) वित्त अधिकारी या रजिस्ट्रार

14 ख. गैर शैक्षणिक पदों के लिए चयन समितिः- (1) शासी बोर्ड के अनुमोदन से कर्मचारियों, परामर्शदाताओं, प्रतिधारणाओं की नियुक्ति के लिए कुलपति को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्-

कनिष्ठ स्तरीय गैर शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द	कुलपति द्वारा गठित तीन से पांच सदस्यों की समिति जिसमें ज्येष्ठ अधिकारी और विश्वविद्यालय के शिक्षक और सुसंगत क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले एक या दो बाह्य सदस्य होंगे।

(घ) मूल परिनियम में, संविधि 15 के खंड (3) में, उपखंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड को अंतःस्थापित किए जाएंगे अर्थात्:—

"(ड.) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वाद या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, अटार्नी की शक्तियों को हस्ताक्षर करना और अभिवचनों को सत्यापित करना या इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि को तैनात करना;

(च) परिनियमों, अध्यादेश या विनियमों में विनिर्दिष्ट या कुलपति या शासी बोर्ड द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपे गए कार्यों को करना।"

(ड.) मूल परिनियमों के परिनियम-15 में, खंड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(4) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो या जब अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से, वे अपने पद के कर्त्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हों, तो उनके कर्त्तव्यों का निष्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिन्हें इस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।"

(च) मूल परिनियम में संविधि 16 के पश्चात्, निम्नलिखित परिनियम अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

"16 क. पुस्तकालयाध्यक्षः-(1) पुस्तकालयाध्यक्ष पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और उनकी नियुक्ति इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर शासी बोर्ड द्वारा की जाएगी।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्य का पालन करेगा जो समय-समय पर विहित किया जाए।

16 ख. सेवा की साधारण शर्तें- (1) जहां विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान या सरकार और इसके किसी संगठनों का कोई कर्मचारी कुलपति या शैक्षणिक सदस्य या गैर शैक्षिक कर्मचारीवृन्द सहित विश्वविद्यालय में किसी पद पर नियुक्त होता है तो उसके मामले में सेवा निवृत्ति लाभ स्कीम अर्थात् साधारण भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि अथवा पेंशन अथवा उपदान अथवा स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता के लिए उन्हीं नियमों को लागू किया जाएगा जो विश्वविद्यालय में कथित पद पर उसकी नियुक्ति के पहले लागू होता था और यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक पूर्व पद पर उसका धारणाधिकार बना रहता है।

(2) विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, सभी शिक्षकों और अन्य कर्मचारीवृन्द के अतिरिक्त, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर परिनियमों और अध्यादेशों में यथाविनिर्दिष्ट सेवा की शर्तों और निबंधन और आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(3) शैक्षणिक सदस्य और गैर-शैक्षणिक स्टॉफ समय-समय पर विश्वविद्यालय में प्रवृत्त भत्ते और अन्य फायदों के हकदार होंगे।

16 ग. छुट्टी के नियमः विश्वविद्यालय के इसके सभी कर्मचारियों के लिए छुट्टी के नियम परिनियमों में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

संजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव (दक्षिण)

[विज्ञापन-III/4/ असा./191 डी/14]

टिप्पण.—मूल परिनियम को भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में तारीख मार्च 31—अप्रैल 6, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 7 फरवरी, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एस/321/23/2011 और तारीख 4 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एस/321/23/2011 के द्वारा संशोधित किए गए था।

IndiaCode

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Nalanda Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2014

No. S/321/23/2011.— In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Nalanda University Act, 2010 (39 of 2010) and with the assent of the Visitor, the Governing Board hereby makes the following further amendments to the Nalanda University Statutes, 2012, namely:–

2. In the Nalanda University Statutes, 2012 (hereinafter referred to as principal Statutes), – **(a)** after statute 5, the following statute shall be inserted, namely:–

"5A. Committees.– (1) The Vice Chancellor and any authority of the University may appoint as many standing committees or special committees as they may deem fit and may appoint to such committees persons who are not members of other authorities.

(2) Any committee appointed under clause (1) may deal with any subject delegated to it and make recommendations to the authority appointing it."

(b) in the principal Statues, in statute 13, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:–

"(w) The Vice-Chancellor may make changes in the assignment of responsibilities of officers."

(c) in the principal Statues, after statute 14, the following statutes shall be inserted, namely:–

"14 A. Selection Committees for Academic and Non-academic posts.– (1) There shall be Selection Committees for making recommendations to the Governing Board for appointment to the posts of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Registrar, Finance Officer, Librarian and other functionaries.

(2) The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of the table below shall consist of the following persons, namely:–

Category	Composition
Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor	(i) Vice-Chancellor or nominee of Vice-Chancellor—Chairperson (ii) Dean (Academic Planning) (iii) The Dean of the Faculty concerned, if in place (iv) A nominee of the Chancellor (v) Three experts not in the service of the University, nominated by the Vice-Chancellor, out of a panel of names approved by the Governing Board for their special knowledge of, or interest in the subject for which the Faculty member is to be appointed.
Librarian	(i) Vice-Chancellor or nominee of Vice-Chancellor-Chairperson (ii) Dean (Academic Planning) (iii) A nominee of the Chancellor (iv) Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice- Chancellor, out of a panel of names approved by the Governing Board who have special knowledge of Library Science and Library Administration.
Senior non-academic/ administrative positions (viz. Registrar, Finance Officer and University Engineer)	(i) Vice-Chancellor or nominee of the Vice-Chancellor— Chairperson (ii) Dean (Academic Planning) (iii) A nominee of the Chancellor (iv) Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice-Chancellor, out of a panel of names approved by the Governing Board.

Other senior administrative/non-academic positions like the Deputy Registrar, Assistant Registrar, Assistant Engineer, Senior Programmer etc,	(i) Vice-Chancellor or nominee of the Vice-Chancellor — Chairperson (ii) Dean (Academic Planning) (iii) A nominee of the Chancellor (iv) One expert not in the service of the University, nominated by the Vice-Chancellor, out of a panel of names approved by the Governing Board. (iv) Finance Officer or Registrar

14 B. Selection Committees for other non-academic posts.– (1) There shall be Selection Committees for making recommendations to the Vice-Chancellor for appointment of employees, consultants, retainers with the approval of Governing Board.

(2) The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of the table below shall consist of the following persons, namely:–

Junior level non-teaching staff	A Committee of three to five members constituted by the Vice-Chancellor comprising senior officers and teachers of the University and one or two external members with expertise in the relevant field.

(d) in the principal Statues, in statute 15**,** in clause (3), after sub-clause (d), the following sub-clauses shall be inserted, namely:–

"(e) represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose;

(f) perform such other duties as may be specified in the Statutes, the Ordinances or the Regulations or as may be assigned to him from time to time by the Governing Board or the Vice Chancellor."

(e) in the principal Statues, in statute 15, after clause (3), the following clause shall be inserted, namely:–

"(4) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may nominate for the purpose."

(f) in the principal Statues, after statute 16, the following statutes shall be inserted, namely:–

"16 A. Librarian.– (1) The Librarian shall be a whole-time salaried officer appointed by the Governing Board on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose.

(2) The Librarian shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed from time to time.

16 B. General conditions of service.– (1) Where an employee of the University or any other Institution or Government and its organisations is appointed to a post in the University including as Vice-Chancellor or a member of the academic or non-academic staff, he or she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, namely General Provident Fund or Contributory Provident Fund or Pension or Gratuity or Travelling Allowance for journeys on transfer, to which he or she was entitled prior to his or her appointment to the said post in the University, and till he or she continues to hold his or her lien on the earlier post.

(2) All employees of the University, other than the teachers and other academic staff shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and the code of conduct as specified in the Statutes and the Ordinances.

(3) Members of the academic and non-academic staff shall be entitled to allowances and other benefits as in force in the University from time to time.

16 C. Leave rules.– The leave rules of the University for all its employees shall be as specified in the Statutes."

SANJAY BHATTACHARYYA, Jt. Secy. (South)

[ADVT.-III/4/Exty./191 D/14]

Note.—The principal Statutes were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the March 31-April 6, 2012 and subsequently amended by notification No. S/321/23/2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 7th February, 2014 and notification No. S/321/23/2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 4th March, 2014.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.